महत्वपूर्ण

संख्या-12/2025-409/53-2-2025-2(विविध)/2019

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास उ0प्र0,
लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक 29-05-2025**

विषय:- पी.सी.डी.एफ.लि. द्वारा संचालित परंतु बंद पड़े 03 डेयरी प्लांट्स यथा-कानपुर, गोरखपुर एवं कन्नौज तथा पशुआहार निर्माणशाला, अम्बेडकर नगर को संचालन हेतु पट्टे पर राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड(एन.डी.डी.बी.) को दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-424/दुग्ध-6/इंजी0/नैब्कान्स पत्रा0/2024-25, दिनांक 18.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कानपुर, गोरखपुर एवं कन्नौज डेयरी प्लांट्स तथा पशुआहार निर्माणशाला, अम्बेडकर नगर को संचालन हेतु एन.डी.डी.बी. को पट्टे पर दिए जाने से सम्बंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम स्तर पर सम्यक विचारोपरांत दुग्ध विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या:मु0स0-20/53-2-2023-2(विविध)/2019,दिनांक 24.08.2023 को संशोधित कर प्रदेश में नवनिर्मित व उच्चीकृत 06 डेयरी प्लांट्स यथा-कानपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, नोएडा, प्रयागराज एवं मुरादाबाद को अनुमोदित आर.एफ.पी/आर.एफ.क्यू की शर्तों के अनुसार 10 वर्षीय पट्टेदारी के माध्यम से संचालित किये जाने की व्यवस्था को निरस्त करते हुए संलग्न ड्राफ्ट एम.ओ.यू. में उल्लिखित शर्तों के अनुसार कानपुर, गोरखपुर एवं कन्नौज डेयरी प्लांट्स तथा पशुआहार निर्माणशाला, अम्बेडकर नगर को संचालन हेतु भारत सरकार की अग्रणी डेयरी सहकारी संस्था राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड(एन.डी.डी.बी.) को 10 वर्षीय पट्टे पर नामांकन के आधार पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कृपया उपर्युक्त निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- 04 ड्राफ्ट एम.ओ.यू.।

भवदीय,
के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2-अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3- अपर सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4-अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड(एन.डी.डी.बी.), आनन्द, गुजरात।
5-प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6-विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
7-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय, वित्त, सहकारिता, नियोजन, सार्वजनिक उद्यम तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8-संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
9-प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 लि0, लखनऊ को ड्राफ्ट एम0ओ0यू0 की प्रति सहित।
10-प्रधान सलाहकार, नैबकान्स (नाबार्ड कन्सलटेन्सी सर्विसेस), लखनऊ।
11- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
12-इकाई प्रभारी, दुग्ध संघ कानपुर, गोरखपुर, कन्नौज एवं पशुआहार निर्माणशाला, अम्बेडकर नगर द्वारा पी0सी0डी0एफ0 लि0।
13-वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
14-वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
15-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राम सहाय यादव,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in